**दिनांक 06.04.2011 जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर की अध्यक्षता में संपन्न मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–**

दिनांक 06.04.2011 को जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर की अध्यक्षता में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , जिलान्तर्गत सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी , सदर अस्पताल प्रबंधक की उपस्थिति में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए :–
उपस्थिति पंजी के अनुरुप।

सर्वप्रथम जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि सिविल सर्जन सह सचिव अस्वस्थ्य रहने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी , प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इटाढ़ी एवं सदर प्रखण्ड को छोडकर सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हैं। दिनांक 11.03.2011 को मासिक समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा क्रमवार समीक्षा की गई एवं निदेश दिया गया –

**जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि :–**

1. जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंर्तगत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि , बाह्‌य स्त्रोत द्वारा दी जा रही सेवा का भुगतान एवं कर्मियों को दी जाने वाली मानदेय का अद्यतन स्थिति हेतु विहित प्रपत्र तैयार कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सदर अस्पताल बक्सर को प्रेषित करते हुये निदेश दिया गया था कि माह के प्रथम दिवस को जिला स्वास्थ्य समिति,बक्सर कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें तदोपरांत जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर, बह्रमपुर, चौगाई एवं नावानगर के द्वारा विहित प्रपत्र प्रमाणित कर ससमय भेजा गया है तथा शेष सभी स्वास्थ्य संस्थानों से अप्राप्त है।
   अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जिस संस्थान से विहित प्रपत्र अप्राप्त है, संबंधित संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का अगले आदेशतक वेतन अवरुद्ध करने हेतु पत्र तैयार करने का निदेश जिला कार्यक्रम प्रबंधक को दिया गया।
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इटाढी संस्थान में एवं बैठक में अनुपस्थित रहती हैं , बार –बार निदेश दिये जाने के बाद भी उनके कार्यकलाप में सुधार नहीं हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि उनको कार्य में रुचि नहीं है। अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेश दिया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इटाढ़ी का अगले आदेश तक वेतन अवरुद्ध एवं बिहार सरकार प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को सूचना हेतु पत्र तैयार कर अविलम्ब उपस्थापित करें।
3. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डुमरांव एवं सिमरी द्वारा अपने कार्य एवं दायित्वों का निर्वाहन पूर्ण रुप से नहीं किये जाने ,कार्य के प्रति लापरवाही बरतने, ससमय वित्तीय एवं भौतिक आंकडा मुख्यालय को नहीं भेजना , इत्यादि के संबंध में स्पष्टीकरण पूछने हेतु एवं बिहार सरकार प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को सूचना हेतु पत्र तैयार कर उपस्थापित करने का निदेश जिला कार्यक्रम प्रबंधक को दिया गया।
4. अध्यक्ष महोदय द्वारा उपाधीक्षक , सदर अस्पताल बक्सर को पूर्व की बैठक में एवं किये गये निरीक्षण के दौरान दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण अगले आदेश तक वेतन अवरुद्ध करने हेतु एवं वं बिहार सरकार प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को सूचना हेतु पत्र तैयार कर अविलम्ब उपस्थापित करने का निदेश जिला कार्यक्रम प्रबंधक को दिया गया।

5. अस्पताल प्रबंधक सदर अस्पताल, बक्सर से बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछा गया कि तैयार की गई विहित प्रपत्र क्यों नहीं ससमय जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर को उपलब्ध कराया गया । अस्पताल प्रबंधक द्वारा विहित प्रपत्र के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की गई,। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेश दिया गया इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

6. प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, इटाढ़ी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंर्तगत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि , बाह्‌य स्त्रोत द्वारा दी जा रही सेवा का भुगतान एवं कर्मियों को दी जाने वाली मानदेय का अ‌द्यतन स्थिति हेतु विहित प्रपत्र तैयार ससमय नहीं भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछने का निदेश जिला कार्यक्रम प्रबंधक को दिया गया।

7. जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि बक्सर जिलान्तर्गत सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समिति का गठन किये जाने का निदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना से प्राप्त हुआ था। जिसके आलोक में सभी स्वास्थ्य प्रबंधको को पत्र के माध्यम से निदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द रोगी कल्याण समिति का गठन करने की सूचना जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति , बिहार पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें परन्तु डुमरांव प्रखण्ड को छोडकर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से रोगी कल्याण समिति के गठन की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है। जिस पर जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेश दिया गया कि संबंधित सभी स्वास्थ्य प्रबंधक को निदेश दिया जाय की सात दिनों के अंदर रोगी कल्याण समिति का गठन कर सूचना देना सुनिश्चित करें। जिस स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा सूचना अप्राप्त रहती है तो उनको पदमुक्त करने हेतु संचिका अग्रसारित की जाय।

8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि सभी प्राथ0स्वा0केन्द्र एवं सदर अस्पताल बक्सर में प्रसव कक्ष में गर्म पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रसव कक्ष के ऊपर 10 फिट का प्लेटफार्म तैयार कर उसके ऊपर 400–500 लीटर की टंकी रखते हुये टंकी में पानी भरने हेतु कनेक्शन करना सुनिश्चित कर जिला स्वास्थ्य समिति, को सूचना देना सुनिश्चित करेगें। परन्तु किसी भी संस्थान के द्वारा कार्य संपन्न करने की सूचना अप्राप्त है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर कार्य का संपादन कर जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर को सूचना देना सुनिश्चित करें।

9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा 28.03.11 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , ब्रहमपुर के औचक निरीक्षण प्रतिवेदन में बाह्स स्त्रोत द्वारा विद्युत आपूर्ति कराने हेतु उपलब्ध कराये गये जनरेटर कार्यालय आदेशानुसार 10 के0भी0ए0 का साइलेंट जनरेटर नहीं है। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा नोडल पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बक्सर ( श्री आलोक कुमार ) को निदेश दिया गया कि जांच कमिटी गठित कर सात दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें , जिसके आधार पर अग्रत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

10. पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में त्रि सदस्यीय जांच समिति (श्री आलोक कुमार उपसमाहर्त्ता सह नोडल पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग श्री अरूण कुमार डिप्टी कलेक्टर (Probationer), धनन्जय शर्मा जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर ) द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौसा में बाह्‌य स्त्रोत द्वारा दी गई एम्बुलेंस एवं एम्बुलेंस का लांग बुक का जांच किया गया। जांच प्रतिवेदन में लाग बुक का संधारण नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेश दिया गया कि सिविल सर्जन बक्सर के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चौसा से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाय की किस परिस्थति में बिना लाग बुक संधारण नहीं होने के बावजुद भी भुगतान किया गया।

11. जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा नोडल पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बक्सर ( श्री आलोक कुमार ) को निदेश दिया गया कि कमिटी गठित कर बक्सर जिलान्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , अनुमंडल अस्पताल डुमरांव एवं सदर अस्पताल बक्सर में कार्यरत बाह्य स्त्रोत एजेंसी द्वारा किये जा रहे कार्य कार्यादेश के अनुसार किया जा रहा है या नहीं जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

12. बक्सर जिलान्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , अनुमंडल अस्पताल डुमरांव एवं सदर अस्पताल बक्सर में बाह्य स्त्रोत द्वारा पैथोलाजी सेन्टर पर कार्य रहे संवेदक को दिनांक 11.03.2011 की मासिक समीक्षात्मक बैठक मे दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक सदर अस्पताल, बक्सर को निदेश दिया गया कि माह अप्रेल 2011 के भुगतान विपत्र से 10 प्रतिशत की कटौती कर भुगतान किया जाय। साथ ही साथ जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेश दिया गया कि सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक सेन्टर , पटना को पत्र से सूचित किया जाये कि आपके द्वारा नामित संवेदक का कार्य संतोषप्रद नहीं है।

13. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नावानगर एवं चौगाई में संवेदक द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि निविदि के समय दी गई अग्रधन राशि को जप्त करते हुये पुनः निविदा प्रकाशन हेतु संचिका अग्रसारित की जाय।

14. जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेश दिया गया कि डॉ0 आर0 मिश्रा को पदमुक्त करने हेतु बिहार सरकार प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को अनुशंसा पत्र तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करें।

15. उपाधीक्षक सदर अस्पताल, बक्सर , अनुमंडल अस्पताल डुमरांव एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपनें संस्थान के बाहरी दिवार पर लाल पेन्ट से परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु निर्धारित दिवस अंकित करना सुनिश्चित करें।

16. परिवार कल्याण ऑपरेशन की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से सभी स्वास्थ्य प्रबंधक को देने हेतु निदेश दिया गया था परन्तु स्वास्थ्य प्रबंधक राजपुर द्वारा निदेश का अनुपालन पूर्णरुपेण नहीं किया जा रहा है एवं अन्य कार्यो में भी उनकी सहभागिता कम होने की सूचना प्राप्त हो रही है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेश दिया गया कि इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण को संचिका के माध्यम से अग्रसारित करें।

17. डॉ0 डी0एन0 पाण्डेय नोडल पदाधिकारी (परिवार कल्याण) द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा परिवार कल्याण ऑपरेशन का लक्ष्य पूर्ण करने की तैयारी कर ली गई है। दंपत्ति सर्वेक्षण कराया जा रहा है । 15 दिनों में रिपोर्ट मिल जायेगी। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सप्ताह में कम से कम दो दिन परिवार कल्याण ऑपरेशन किये जायेगें। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि बक्सर जिलान्तर्गत कार्यरत सभी मेल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पुरुष नसबंदी हेतु लक्ष्य देना सुनिश्चित करें।

18. जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा उपाधीक्षक सदर असपताल, बक्सर को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.04.2011 को सदर अस्पताल, बक्सर का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ ससमय उपस्थित रहेगें।

19. जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा उपाधीक्षक सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल डुमरावं एव सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम पदनाम एवं कार्य का विवरण बोर्ड पर अंकित होना चाहिए।

20. उपाधीक्षक सदर अस्पताल एवं प्रभारी उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल डुमरावं को निदेश दिया गया कि कौन – कौन चिकित्सा पदाधिकारी की डियुटी रोस्टर अनुसार अगले दिन कार्य करेगें है इसकी सूचना ई–मेल /फैक्स से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेगें।

21. बक्सर जिलान्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत बाह्य स्त्रोक के संवेदक को निदेश दिया गया कि कार्यादेश के अनुसार संस्थान अंतर्गत कार्यरत अपने कर्मियों को नियमानुसार वर्दी देना सुनिश्चित करें एवं एम्बुलेंस पर चालक का नाम तथा मोबाइल नम्बर अंकित कराना सुनिश्चित करें।

22. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधक को निदेश दिया गया की अपने संस्थान अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दो पाली में बाह्य कक्ष में रोगियों को देखा जाता है या नहीं इसका जांच प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति, कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

23. जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेश दिया गया कि एक्स–रे/अल्ट्रासाउण्ड/पैथोलोजी संबंधी **Agreement** की कॉपी जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी , राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र बक्सर के माध्यम से जिले के बेवसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

24. जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष महोदय द्वारा उपाधीक्षक सदर अस्पताल, बक्सर एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी मासिक प्रतिवेदन, मासिक समीक्षात्मक बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पहली तारीख को जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें जिससे प्रंमडल स्तरीय पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारी को सभी प्रतिवेदन से ससमय उपलब्ध कराया जा सकें।

**(अजय यादव भा.प्र.से.)**
**जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष**
**जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर**

ज्ञापांक : 73/DHS/BXR दिनांक : 15/9/14

प्रतिलिपि :– असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।
प्रतिलिपि :– उपाधीक्षक सदर अस्पताल बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला नोडल पदाधिकारी परिवार कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– श्री आलोक कुमार (नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग बक्सर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, ब्लॉक कम्युनिटी मोबीलाईजर एवं लेखापाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

**(अजय यादव भा.प्र.से.)**
**जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष**
**जिला स्वास्थ्य समिति, बक्सर**

Copy → DIO/IT Manager upload करें।
→ प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा।
→ क्या वह सभी पत्र issue हो चुके हैं जिसके बारे में निर्देश
[illegible] था।